

पंजीयन क्रमांक 1493
दिनांक 22.05.2015
डिस्पेंच नं. 728
दिनांक 22.05.2015

राजस्थान सरकार

प्रपत्र (फार्म) संख्या - 7

निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएँ राजस्थान, जयपुर



गौशाला पंजीयन प्रमाण-पत्र

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम - 6)

श्री मरुधर सेवा संस्थान
ग्राम सतारवाली पोस्ट नेतली
तहसील जैसलमेर जिला जैसलमेर के सम्बन्ध में।

चूंकि श्री बलोज्ञ झाँ अध्यक्ष — संस्थान — न्यासी (ट्रस्टी)
गौशाला श्री मरुधर सेवा संस्थान ने राजस्थान
गौशाला अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गौशाला
के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं आवश्यक जांच करने के बाद में संतुष्ट हो गया है।
आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही व सत्य है। अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के
अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गौशाला पंजीयत (रजिस्टर) करली गई है।

आज दिनांक बाईस माह मई वर्ष दो हजार पन्द्रह

रजिस्ट्रार गौशाला एवं संयुक्त निदेशक
(गौशाला पंजीकरण एवं नस्ल सुधार कम गौशाला विकास अधिकारी)
निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर